GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.

केरल राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 1864-1865) 11 नवंबर, 2022

[बी**.** आर**.** गवई और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

साक्ष्य अधिनियम, 1872:एस। 9-टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टी. आई. पी.)-इसकी वैधता और वैधता-पुलिस अत्याचार का बदला लेने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए उकसाने वाले अभियोजन मामले-ए-17 और ए-19 पर बस कंडक्टर की मौत का आरोप-आरोपी को साजिश रचने, बस कंडक्टर की हत्या और रोडवेज बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई-साजिश और हत्या के मुद्दे पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया गया-संपत्ति को नष्ट करने के मुद्दे के संबंध में, निचली अदालत ने टी. आई. पी. की वैधता और विश्वसनीयता पर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया, और आरोपी संख्या 1-7,9-12,14,16 और 18 यू/एस. को दोषी ठहराया।143, 147, 148 आई. पी. सी. और एस.3(2)(ई) 1984 का अधिनियम आर/डब्ल्यूएस।149 आई. पी. सी. और चार साल के कठोर कारावास की सजा-उच्च न्यायालय ने उसी को बरकरार रखा-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःगवाहों को टी. आई. पी. के संचालन से पहले अभियुक्त को देखने का अवसर मिला-यहां तक कि अभियुक्तों में से एक ने भी उक्त प्रभाव के लिए गवाही दी-टी. आई. पी. के संचालन के पीछे कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं था-टी. आई. पी. केवल एक औपचारिकता थी, और इसका कोई मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता था-अन्य परिस्थितियों के साथ टी. आई. पी. के आयोजन में देरी ने टी. आई. पी. गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा किया-टी. आई. पी. के संचालन के दौरान पुलिस की मंडराती उपस्थिति के साथ टी. आई. पी. के संचालन ने पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया-ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने टी. आई. पी. गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करने में गलती की-जिस तरह से दोनों टी. आई. पी. आयोजित किए गए थे, उसमें विसंगतियां, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं कर सका।धारा 386-दंड संहिता, ए

1860 – एसएस।143, 147, 148, 149 – सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 -धारा 3 (2) (ई)।

एस।9 – परीक्षण पहचान परेड-का संचालन-टी. आई. पी. के संचालन का उद्देश्य-टी. आई. पी. का प्रमाणिक मूल्य-समझाया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ किए गए प्रत्यक्षदर्शियों ने दंगों में भाग लेने वाले और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश में शामिल अभियुक्तों के नाम या पहचान नहीं दी।इसलिए, आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) को अनिवार्य रूप से एक परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) आयोजित करनी पड़ी।टी. आई. पी. आयोजित करने का उद्देश्य तीन गुना है।सबसे पहले, गवाहों को खुद को संतुष्ट करने में सक्षम बनाना कि जिस आरोपी पर उन्हें संदेह है, वह वास्तव में वही है जिसे उन्होंने अपराध के संबंध में देखा था।दूसरा, जांच अधिकारियों को संतुष्ट करना कि संदिग्ध वास्तविक व्यक्ति है जिसे गवाहों ने उक्त घटना के संबंध में देखा था।तीसरा, पहली छाप के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना कि क्या उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।[पैरा **25] [615-**ई-जी**]**

ग

डी.

1.2 टी. आई. पी. पुलिस द्वारा जाँच के चरण से संबंधित है।यह आश्वासन देता है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।यह विवेक का एक नियम है जिसका उन मामलों में पालन किया जाना आवश्यक है जहां आरोपी गवाह या शिकायतकर्ता को ज्ञात नहीं है।साक्ष्य अधिनियम की धारा **9** के तहत टी. आई. पी. का साक्ष्य स्वीकार्य है। हालाँकि, यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है।इसके बजाय, इसका उपयोग मुकदमे के समय अदालत के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।इसलिए, टी. आई. पी., भले ही आयोजित किए गए हों, सभी मामलों में विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नहीं माने जा सकते हैं, जिसके आधार पर किसी आरोपी की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है।[पैरा **26] [615-**जी-एच; **616-**ए-बी**]**

ई.

च

1.3 यह जांच एजेंसी और अभियुक्त दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और न्याय के उचित प्रशासन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद बिना टालने योग्य और अनुचित देरी के टी. आई. पी. आयोजित किया जाए। परीक्षण पहचान परेड से पहले अभियुक्त को गवाहों को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है।यह अभियुक्त की एक बहुत ही सामान्य याचिका है, और इसलिए, अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि कोई गुंजाइश नहीं है

जी.

एच.

601

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य ए

इस तरह का आरोप लगाने के लिए।हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं और कुछ देरी होती है, तो इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।लेकिन कारण बताए जाने चाहिए कि देरी क्यों हुई।[पैरा **27] [616-**सी-डी**]**

1.4 जिन मामलों में गवाहों को पहचान परेड आयोजित होने से पहले आरोपी को देखने का पर्याप्त अवसर मिला है, वे मुकदमे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अदालत के समक्ष यह स्थापित करे कि गिरफ्तारी के दिन से ही आरोपी को "बापर्दा" रखा गया था ताकि पुलिस हिरासत में रहते हुए उनका चेहरा देखे जाने की संभावना को खारिज किया जा सके।यदि गवाहों को टी. आई. पी. के समक्ष अभियुक्त से मिलने का अवसर मिला हो, चाहे वह

किसी भी रूप में हो, यानी शारीरिक रूप से, तस्वीरों के माध्यम से या मीडिया (समाचार पत्र, टेलीविजन आदि) के माध्यम से, तो टी. आई. पी. का साक्ष्य एक वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।[पैरा **28] [616-**ई. एफ.] **1.5** यदि टी. आई. पी. में अभियुक्त की पहचान गवाहों को दिखाए जाने के बाद हुई है, तो न केवल टी. आई. पी. का साक्ष्य अस्वीकार्य है, बल्कि मुकदमे के दौरान अदालत में एक पहचान भी अर्थहीन है।यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित एक टी. आई. पी. भी दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **162** के आलोक में अस्वीकार्य है।[पैरा **29] [617-**ए-बी]

ग

डी.

1.6 टी. आई. पी. के दौरान संदिग्धों और गैर-संदिग्धों के बीच एक स्वस्थ अनुपात बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि उस आशय के नियम जेल नियमावली में दिए गए हैं या यदि किसी उपयुक्त प्राधिकारी ने बनाए रखने के लिए अनुपात के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, तो ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।टी. आई. पी. का संचालन करने वाला अधिकारी निर्धारित अनुपात को अनिवार्य रूप से बनाए रखने के लिए बाध्य है।टी. आई. पी. का संचालन करते समय, यह अनिवार्य है कि गैर-संदिग्ध एक ही आयु वर्ग के होने चाहिए और उनकी शारीरिक विशेषताएं (आकार, वजन, रंग, दाढ़ी, निशान, शारीरिक चोट आदि) भी संदिग्धों के समान होनी चाहिए।टी. आई. पी. की देखरेख करने वाले संबंधित अधिकारी को टी. आई. पी. की कार्यवाही शुरू करने से पहले ऐसी भौतिक विशेषताओं को भी दर्ज करना चाहिए।यह टी. आई. पी. को विश्वसनीयता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि टी. आई. पी. केवल एक खाली औपचारिकता नहीं है।अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि टी. आई. पी. निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई थी और टी. आई. पी. आयोजित करने से पहले सभी आवश्यक उपाय और सावधानी बरती गई थी। इस प्रकार, बोझ रक्षा पर नहीं है।इसके बजाय, यह अभियोजन पक्ष पर है। [पैरा **30,31] [617-**सी-एफ]

ई.

च

जी.

एच.

2.1 महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और टी. आई. पी. के संचालन का संकेत देने वाली सामग्री पर विचार करने के बाद, गवाहों को टी. आई. पी. के संचालन से पहले आरोपी से मिलने का अवसर मिला। गवाहों ने न केवल यह बयान दिया है कि उन्होंने टी. आई. पी. के समक्ष संदिग्धों को देखा था, बल्कि पहली टी. आई. पी. के अंत में आरोपी संख्या **2** ने भी शिकायत की थी कि सभी संदिग्धों की तस्वीरें ली गई थीं, वीडियो-ग्राफ़ की गई थीं और आई. ओ. (पी. डब्ल्यू. **84)** के कक्ष से गवाहों को दिखाई गई थीं।दूसरी टी. आई. पी. के अंत में, उन्होंने यह भी कहा था कि जब आरोपी संख्या **1-19** को रिमांड के उद्देश्य से अदालत में ले जाया गया था, और पुलिस द्वारा अदालत में सभी गवाहों की उपस्थिति की व्यवस्था की गई थी।वास्तव में, सभी अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से कहा कि वे अपनी गिरफ्तारी से सीधे टी. आई. पी. की तारीख तक एक ही पोशाक पहने हुए थे, यह इंगित करने के लिए कि टी. आई. पी. ने अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया।अभियुक्त के बयान की सच्चाई पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस तर्क को उठाया था और इसे हमेशा बनाए रखा है।इसे ध्यान में रखते हुए, टी. आई. पी. के संचालन के पीछे कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं था। टी. आई. पी. केवल एक औपचारिकता थी और इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता था।चूंकि अपीलार्थियों को दोषी ठहराने का एकमात्र सबूत टी. आई. पी. में चश्मदीद गवाहों का सबूत है, और जब टी. आई. पी. दूषित हो जाती है, तो दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।[पैरा **44,45] [622-**ए-डी]

डी.

ई.

2.2 टी. आई. पी. के संचालन में अनुचित देरी का पहचान प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।हालांकि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है जिसके भीतर टी. आई. पी. आयोजित की जानी चाहिए और देरी का परिणाम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन जल्द से जल्द टी. आई. पी. आयोजित करना अनिवार्य है।टी. आई. पी. गवाहों द्वारा अभियुक्त को देखने की संभावना उनकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह करने के लिए पर्याप्त है।**[**पैरा **46] [622-**ई-एफ**]**

च

2.3 अभियुक्त संख्या **1-16** को **13.07.2000** पर गिरफ्तार किया गया था।जल्द से जल्द टी. आई. पी. आयोजित करने के लिए आवेदन दायर करने के बजाय, आई. ओ. **(**पी. डब्ल्यू**.-84)** ने रिमांड आवेदन दायर किया, जिसके अनुसार अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अभियुक्तों को उनकी पुलिस हिरासत अवधि के दौरान गवाहों को दिखाया गया था।तथ्य यह है कि टी. आई. पी. आयोजित करने के लिए एक आवेदन **23.07.2000** पर दायर किया गया था, यानी, पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के अगले ही दिन, इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था ताकि उन्हें आसानी से ए.

जी.

एच.

603

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य ए

टीआईपी के दौरान पहचान। अन्यथा, यह न्यायालय कोई कारण नहीं देखता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद टी. आई. पी. आयोजित करने के लिए आवेदन क्यों दायर नहीं किया गया था।ऐसी परिस्थितियों में, अन्य परिस्थितियों के साथ टी. आई. पी. आयोजित करने में देरी टी. आई. पी. गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है।**[**पैरा **48] [623-**एफ-जी**;]**

2.4 जे. एम. एफ. सी. **(**पी. डब्ल्यू**.-47)** के बयान और आई. ओ. **(**पी. डब्ल्यू**.-84)** के साक्ष्य पर एक साथ विचार करने के बाद, टी. आई. पी. के समय जांच अधिकारी की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है।जाँच अधिकारी ने कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है कि आरोपी और गवाह एक-दूसरे को न देखें।यह आश्चर्य की बात है कि जांच अधिकारी का मानना है कि इस तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं है।जे. एम. एफ. सी. **(**पी. डब्ल्यू**.-47)** द्वारा बनाई गई पहली और दूसरी टी. आई. पी. रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है।मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया कि अभियुक्त ने टी. आई. पी. के संचालन के तरीके पर चिंता जताई थी।अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि टी. आई. पी. के संचालन के साथ-साथ टी. आई. पी. के संचालन के दौरान पुलिस की मंडराती उपस्थिति ने पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए टी. आई. पी. गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करने में गंभीर गलती की है।इस न्यायालय की राय है कि दोषसिद्धि और सजा स्थायी नहीं है।अभियोजन पक्ष की ओर से इन खामियों को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य आधारों पर विचार करना आवश्यक नहीं है।**[**पैरा **53** और **56] [625-**बी-सी**; 626-**सी-डी**]**

ग

डी.

ई.

2.5 मामले पर विस्तार से विचार करने और दोनों टी. आई. पी. के संचालन के तरीके में विभिन्न विसंगतियों को नोट करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया है।टी. आई. पी. के अलावा, अभियोजन

पक्ष द्वारा आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **143,147,148** और धाराओं के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं दिया गया है।**3(2)(**ई**)** पी**.** डी**.** पी**.** पी**.** अधिनियम आर/डब्ल्यू आई**.** पी**.** सी**. 149**। उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा।**143, 147, 148** आई**.** पी**.** सी**.** और एस**.3(2)((**ङ**) 1984** के अधिनियम की धारा।**149** आई**.** पी**.** सी**.** को अलग कर दिया गया है।**[**पैरा **57,58] [626-**ई**-**एच**]**

च

जी.

चुनथुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2020) 10** एस**.** सी**.** सी**. 733:[2020] 8** एससीआर **1071;** लाल सिंह और ओआरएस**.** वी**.**राज्य

एच.

उत्तर प्रदेश (2003) 12 एस. सी. सी. 554; मुल्ला और अन्र. वी.की स्थिति

यूपी (2010) 3 एससीसी 508:[2010] 2 एस. सी. आर. 633; मात्रु उर्फ

गिरीश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1971) 2** एस**.** सी**.** सी**. 75:[1971] 3** एससीआर **914;** सी**.** मुनियप्पन और ओआरएस बनामकी स्थिति

तमिलनाडु (2010) 9 एससीसी 567:[2010] 10 एससीआर 262;

एच**.** पी**.** बनाम राज्यलेख राज और अन्र। **(2000) 1** एससीसी **247:**

[1999] 4 पूरक।एससीआर 286; सूर्यमूर्ति और एन. आर. वी.

गोविंदस्वामी और ओआरएस। **(1989) 3** एस**.** सी**.** सी**. 24;** रामकिशन मिथनलाल शर्मा बनाम बॉम्बे राज्य **(1955) 1** एस**.** सी**.** आर**. 903;** राजेश गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1999) 8 एससीसी 428:[1999] 4 पूरक।एससीआर 277; बुधसेन और एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश राज्य (1970) 2 एससीसी 128:[1971] 1

ग

एससीआर **564;** माया कौर बलदेव सिंह सरदार और अन्र बनाम

महाराष्ट्र राज्य (2007) 12 एससीसी 654:[2007] 10

एस**.** सी**.** आर**. 752;** सुभाष और शिव शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(1987) 3 एससीसी 331:[1987] 2 एससीआर 962; ए. पी. बनाम राज्य

डॉ**.** एम**.** वी**.** रमना रेड्डी और अन्य। **(1991) 4** एससीसी **536:[1991] 3** एससीआर **600;** सोहन और एन**.** आर**.** वी**.**हरियाणा राज्य

डी.

और एन. आर. (2001) 3 एससीसी 620:[2001] (2) एससीआर 309; राज्य

राजस्थान बनाम हनुमान (2001) 1 एस. सी. सी. 337 बद्री और ओआरएस. वी.राजस्थान राज्य (2000) 10 एससीसी 246; आचारपरम्बथ प्रदीपन और अन्र. वी.केरल राज्य

(2006) 13 एससीसी **643:[2006] 10** पूरक।एससीआर **1101;**

ई.

शेख उमर अहमद शेख और अन्र बनामकी स्थिति

महाराष्ट्र (1998) 5 एससीसी 103:[1998] 2 एससीआर 1209;

लाली उर्फ जगदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य **(2003) 12** एस**.** सी**.** सी**. 666;** रवि उर्फ रविचंद्रन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व **(2007) 15** एस**.** सी**.** सी**. 372:[2007] 5** एस**.** सी**.** आर**. 766;** सुरेश चंद्र बहरी बनाम राज्य

च

बिहार (1995) पूरक 1 एस. सी. सी. 80:[1994] 1 पूरक।एससीआर

483; मुन्ना कुमार उपाध्याय बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश (2012) 6 एससीसी 174:[2012] 6 एससीआर 611;

प्रदीपन बनाम केरल राज्य **(2005) 3** के**.** एल**.** टी**. 1075;** कैपिटल आर्ट हाउस **(**पी**)** लिमिटेड बनाम नेहा दत्ता **(2022)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल **1746;** मोहनन नायर बनाम केरल राज्य

जी.

(1989) Cr.L.J. 2106 (केर**)-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

[2001] 2 एससीआर **309**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19** ए

एच.

605

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य ए

(2001) 1 एस**.** सी**.** सी**. 337**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

(2000) 10 एससीसी **246**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

[2006] 10 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1101** पैरा **21 (2003) 12** एस**.** सी**.** सी**. 554** पैरा **21 [1998] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1209** पैरा **21 (2003) 12** एस**.** सी**.** सी**. 666** पैरा **21 [2007] 5** एस**.** सी**.** आर**. 766** पैरा **23 [1994] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 483** पैरा **23 [2012] 6** एस**.** सी**.** आर**. 611** पैरा

24 [2010] 2 एस**.** सी**.** आर**. 633** पैरा **25 [1971] 3** एस**.** सी**.** आर**. 914** पैरा **26 [2010] 10** एस**.** सी**.** आर**. 262** पैरा **26 [1999] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।पैरा **26 (1989) 3** एस**.** सी**.** सी**. 24** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 286**

ग

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **28**

[2020] 8 एससीआर **1071**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

[1955] 1 एससीआर **903**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

ई.

[1999] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 277** पैरा **30 [1971] 1** एस**.** सी**.** आर**. 564** पैरा **42 [2007] 10** एस**.** सी**.** आर**. 752** पैरा **42 [1987] 2** एस**.** सी**.** आर**. 962** पैरा **47 [1991] 3** एस**.** सी**.** आर**. 600** पैरा **47** को संदर्भित

च

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: 2010 की आपराधिक अपील Nos.1864-1865।

आपराधिक अपील Nos.384 और 2006 के 385 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 14.01.2010 के निर्णय और आदेश से।सुश्री सोनिया माथुर, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री बीना माधवन, लक्ष्य सैनी, नचिकेता जोशी, सुश्री अंकिता चौधरी, संतोष कुमार, प्रणीत प्रणव, सुश्री अर्चना पाठक, सुयश पांडे, किरण एस भट्टश्री, सुश्री प्रेरणा ढल्ल, सुश्री खुशबू अग्रवाल, अमित शर्मा,

जी.

एच.

सिमरजीत सिंह सलूजा, मेसर्स लॉयर एस. निट एंड कंपनी, एड. के लिए।अपीलार्थियों के लिए।

हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलाक्कोट, श्रीमती एशली हर्षद, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पमिडिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.

1. ये अपीलें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 143,147,148 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 (2) (ई) के तहत अभियुक्त संख्या 1-7,14,16 और 18 की दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाले केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। चार साल के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना। ट्रायल कोर्ट 3 द्वारा लगाए गए 10,000 को भी उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

ग

2. तथ्यःवर्तमान मामले के तथ्यों का पता वर्ष 2000 में लगाया जा सकता है जब केरल राज्य ने कॉलेजों से पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रमों को अलग करने और स्कूल स्तर पर प्लस-टू पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया था।उक्त नीति के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए।12.07.2000 पर विरोध प्रदर्शनों में से एक के दौरान, यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस अधिकारी कठोर थे, और छात्राओं सहित कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।पुलिस अत्याचार का बदला लेने के लिए, यह आरोप लगाया जाता है कि आरोपी संख्या 1-2 और 25-33 ने शहर में भय और आतंक पैदा करने के लिए अगले दिन विरोध प्रदर्शन शुरू करने की साजिश रची।

डी.

ई.

3. कथित साजिश को आगे बढ़ाते हुए, लगभग 1500 प्रदर्शनकारी हथियारों से लैस होकर सरकारी सचिवालय की ओर बढ़े। जब समूह को पुलिस बल के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तो वे हिंसक हो गए और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम 4 से संबंधित 81 बसों को नुकसान पहुंचाया।कुछ प्रदर्शनकारी केएसआरटीसी के गैराज के अंदर भी चले गए, और जब केएसआरटीसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया, तो प्रदर्शनकारी और भी हिंसक हो गए, जिससे केएसआरटीसी के एक बस कंडक्टर की मौत हो गई।

च

4. इस घटना के बाद राजेश द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पीडब्लू-72 (हेड कांस्टेबल) द्वारा धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जी.

1 इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2 इसके बाद इसे 'पी. डी. पी. पी. अधिनियम' कहा जाता है।

3 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-1), तिरुवनंतपुरम, 2001 के मामले संख्या 302,2001 के 1786 और 2002 के 1313 दिनांक 15.02.2006 में।

एच.

4 इसके बाद 'केएसआरटीसी' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

607

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

क.

143, 147, 148, 307, 149 आई. पी. सी., पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (ई) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 5।एफ. आई. आर. के अनुसार, अभियुक्त संख्या 1-2 और 25-33 ने साजिश रची और दंगों को उकसाया।इसमें अपीलकर्ताओं और अभियुक्त संख्या 17 और 19 ने भीड़ का हिस्सा होने के नाते एक गैरकानूनी सभा

का गठन किया, जिसके परिणामस्वरूप दंगे हुए और सार्वजनिक संपत्ति का व्यापक स्तर पर विनाश हुआ।इसके अलावा, आरोपी संख्या 17 और 19 पर भी राजेश की मौत का कारण होने का आरोप लगाया गया था।

5. जाँचःएफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद, पी. डब्ल्यू.-78, सर्कल-इंस्पेक्टर, फोर्ट पी. एस. ने जांच अधिकारी के रूप में आरोपी संख्या 13.07.2000 पर गिरफ्तार किया।दो दिन बाद, जाँच पीडब्लू-76 को सौंप दी गई।बैटन संभालने के बाद, पीडब्लू-76 को सूचित किया गया कि राजेश ने दम तोड़ दिया है।उस जानकारी को प्राप्त करने के तुरंत बाद, पीडब्लू-76 जाँच करने के लिए अस्पताल गया।यह बताते हुए कि मृत्यु हत्या थी, उन्होंने संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने धारा 307 के तहत आरोप को विषय की गंभीरता और व्यापक पैमाने पर नतीजों में बदलने के लिए मामले का संज्ञान लिया था, पुलिस महानिदेशक ने तत्कालीन उप पुलिस महानिदेशक पीडब्लू-84 की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया। एस. पी., मादक पदार्थ और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, सी. बी. सी. आई. डी., तिरुवनंतपुरम।जाँच का कार्यभार संभालने के बाद, पीडब्लू-84 ने 01.08.2000 पर अभियुक्त संख्या 17-18 और 04.08.2000 पर अभियुक्त संख्या 19 को गिरफ्तार किया।यह पीडब्लू-84 है जिसने जांच पूरी की और ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।हालाँकि, लगाए गए आरोपों और सत्र न्यायालय के परिणामी निर्णय के विवरण में जाने से पहले, पीडब्लू-47, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-IV, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित दो परीक्षण पहचान परेड का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनका इस मामले में अंतिम निर्णय पर सीधा असर पड़ता है।

ग

डी.

ई.

च

6. 1 सेंट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेडःअभियोजन पक्ष के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड 5 का आयोजन करना महत्वपूर्ण था क्योंकि 1500 से अधिक लोग थे जो भीड़ का हिस्सा थे, और उनमें से केवल कुछ ही लोगों को गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।यही कारण है कि आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 6 के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और टी. आई. पी. आयोजित करने के लिए सी. जे. एम. की सहमति मांगी। सीजेएम ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपने दिनांक 24.07.2000 के आदेश द्वारा पीडब्लू-47 (जेएमएफसी-IV, तिरुवनंतपुरम) को एक टीआईपी आयोजित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, पीडब्लू-47 ने निर्णय लिया कि

जी.

5 इसके बाद इसे 'टिप' के रूप में संदर्भित किया जाता है।6 इसके बाद 'सीजेएम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

अभियुक्त संख्या 1 की पहचान के लिए 31.07.2000 पर टी. आई. पी. का संचालन करें।16.

7. टी. आई. पी. की पवित्रता की रक्षा के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू. -47) कहा जाता है कि उन्होंने आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि टी. आई. पी. के लिए निर्धारित गवाहों (जिनसे बाद में पी. डब्ल्यू. 1,3,4,5,6 और 7 के रूप में पूछताछ की गई) को टी. आई. पी. से पहले अभियुक्त को देखने का कोई अवसर न मिले। टी. आई. पी. के संचालन के लिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू.-47) ने आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) को चालीस नागरिकों को गैर-संदिग्धों के रूप में व्यवस्थित करने का निर्देश दिया।हालांकि, आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) केवल तीस गैर-संदिग्धों के लिए व्यवस्था कर सका, जिसमें बीस पुलिस अधिकारी और दस नागरिक थे।कहा जाता है कि तीस गैर-संदिग्धों के अलावा, न्यायिक

मजिस्ट्रेट (पीडब्लू-47) ने टी. आई. पी. में भाग लेने के लिए 21 विचाराधीन कैदियों को चुना है। हालाँकि, पीडब्लू-47 ने केवल 21 विचाराधीन कैदियों और दस नागरिकों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।यह उनका बयान है कि उन्होंने टी. आई. पी. के लिए और विचाराधीन कैदियों को लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।अंततः, उन्होंने सोलह अभियुक्तों को इकतीस गैर-संदिग्धों के साथ मिलाकर टी. आई. पी. का संचालन किया।

ग

डी.

8. टी. आई. पी. की शुरुआत न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू-47) द्वारा गैर-संदिग्धों के नाम, पते और अन्य विवरणों पर ध्यान देने के साथ हुई।उसके बाद, संदिग्धों और गैर-संदिग्धों को मिला दिया गया, और गवाहों को आरोपी की पहचान करने के लिए कहा गया।

9. अभियुक्त संख्या 1-16 के लिए पहचान प्रक्रिया के समापन के बाद, गैर-संदिग्धों को जाने के लिए कहा गया था, और जब संदिग्ध अकेले थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें टी. आई. पी. के बारे में कोई शिकायत थी।आरोप है कि उन सभी ने नकारात्मक जवाब दिया।हालाँकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कहने के लिए कुछ और है, तो सभी अभियुक्तों की ओर से अभियुक्त संख्या 2 ने कहा कि जब संदिग्ध 20.07.2000 से 22.07.2000 तक पुलिस हिरासत में थे, तो उन सभी की तस्वीरें ली गईं और वीडियो-ग्राफ़ की गई और आई. ओ. (पीडब्लू-84) के केबिन से सभी छह गवाहों को भी दिखाया गया।यह सब स्पष्ट है कि

ई.

च

“ 16 अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान परेड की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2000 "।

10.1 2 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेडःपिछली टिप में, छह

जी.

गवाहों ने आरोपी 1-16 की पहचान की।लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पहली टी. आई. पी. के पूरा होने के बाद आरोपी संख्या 17-19 को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले के उस दृष्टिकोण से, दूसरे टी. आई. पी. के संचालन की अनुमति सी. जे. एम. बी. आई. ओ. (पीडब्लू-84) से तीन चरणों में अभियुक्त की पहचान की सुविधा के लिए मांगी गई थी-(i) पहले चरण में अभियुक्तों की पहचान करने के लिए उन गवाहों द्वारा जिन्होंने पहले टी. आई. पी. ए. में अभियुक्तों की पहचान की थी।

एच.

609

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

(पीडब्लू 1,3,4,5,6 और 7); (ii) दूसरे चरण में पीडब्लू के 10,11,12 और 15 द्वारा अभियुक्त संख्या 1-16 की पहचान करने के लिए; और (iii) तीसरे चरण में पीडब्लू के 8,9 और 33 द्वारा आरोपित संख्या 1-19 की पहचान करने के लिए।आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) से अनुरोध प्राप्त करने के बाद, सी. जे. एम. ने अनुमति दे दी और न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू.-47) को दूसरा टी. आई. पी. आयोजित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, पीडब्लू-47 ने 26.08.2000 पर दूसरा टीआईपी आयोजित करने का निर्णय लिया।प्रत्येक चरण में टी. आई. पी. का संचालन निम्नानुसार है।

10.2 इस टी. आई. पी. के पहले चरण में, अभियुक्त संख्या 17-19, जिनकी पहचान की जानी थी, उन्हें सोलह विचाराधीन गैर-संदिग्धों के साथ मिलाया गया था।पहचान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, आरोपी ने अपने और अन्य दो अभियुक्तों के लिए कहा कि जब वे पुलिस हिरासत में थे, तो उन्हें छह गवाहों, पीडब्लू 1,3,4,5,6 और 7 को दिखाया गया था।इसके अलावा, उन्होंने

यह भी कहा कि उन सभी की तस्वीरें ली गईं और वीडियो-ग्राफ़िंग की गई और जब उन्हें रिमांड बढ़ाने के लिए अदालत में ले जाया गया तो सभी गवाहों ने उन्हें देखने की अनुमति दी।

ग

10.3 टी. आई. पी. के दूसरे चरण में, जिन अभियुक्तों की पहचान की जानी थी, उन्हें 45 गैर-संदिग्धों के साथ मिलाया गया था, जिनमें से इकतीस विचाराधीन थे और शेष नागरिक थे।इसके बाद, पीडब्लू 10,11,12 और 15 पहचान के साथ आगे बढ़े।

डी.

10.4 टी. आई. पी. के तीसरे चरण में, अभियुक्त संख्या 1-19 की पहचान पीडब्लू 8,9 और 33 द्वारा की जानी थी।पहचान के लिए, अभियुक्तों को पहले से मौजूद 45 गैर-संदिग्धों के साथ मिलाया गया था।पहचान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, अन्य लोगों की ओर से अभियुक्त संख्या 2 ने कहा कि जब अभियुक्त संख्या 1-19 को रिमांड के लिए अदालत में ले जाया गया, और पुलिस द्वारा अदालत में सभी गवाहों की उपस्थिति की व्यवस्था की गई।उन्होंने दोहराया कि जब वे पुलिस हिरासत में थे, तो उनकी तस्वीरें खींची गईं और वीडियो खींची गईं और आईओ (पीडब्लू-84) के कक्ष/कक्ष से सभी गवाहों द्वारा उन्हें देखा भी गया।सभी अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से कहा कि वे अपनी गिरफ्तारी से लेकर टी. आई. पी. की तारीख तक एक ही पोशाक पहने हुए थे। यह सब स्पष्ट है कि

ई.

च

“ 19 अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान परेड की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2000 "।

जी.

11. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि शुरू से ही अभियुक्त ने टी. आई. पी. के संचालन और उससे पहले की घटनाओं पर आपत्ति जताई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अभियुक्त को आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) के कक्ष से गवाहों को दिखाया जा रहा है; (ii) अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रहते हुए फोटो खींची जा रही है और वीडियो खींचा जा रहा है; (iii) अदालत में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना जब तक कि अभियुक्तों को अदालत में पेश नहीं किया गया था।

एच.

उनकी रिमांड का विस्तार; और (iv) अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से सीधे टी. आई. पी. की तारीख तक एक ही पोशाक पहने हुए हैं।

12. ऊपर बताए गए टी. आई. पी. सहित जाँच के पूरा होने पर, 23.09.2000 पर आरोप पत्र दायर किया गया था, और मामला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट -I), तिरुवनंतपुरम, 27.10.2000 पर।

13. सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालयः26.05.2005 पर, सत्र

अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 143,147,148,324,427,506,302,109 और 111 आर/डब्ल्यू 149 और पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (ई) के तहत अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए।अभियोजन पक्ष ने 85 गवाहों से पूछताछ की और 134 दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया।इसके बाद, बचाव पक्ष ने 3 गवाहों से पूछताछ की और 24 दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया।मामले को विस्तार से सुनने के बाद, सत्र न्यायालय ने विचार के

लिए 12 बिंदुओं को तैयार किया, जिन्हें मोटे तौर पर तीन मुद्दों में वर्गीकृत किया जा सकता है (i) आरोपी सं. 1-2 और 25-33; (ii) राजेश की हत्या; और (iii) केएसआरटीसी बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करना।

ग

डी.

14. रीःअभियुक्त संख्या 1-2 और 25-33 द्वारा रची गई साजिशःअभियुक्त संख्या 1-2 और 25-33 के विरुद्ध षड्यंत्र का मामला स्थापित करने के लिए,

अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-68 और पीडब्लू-85 की जांच की।पीडब्लू-68, जिसने अदालत के समक्ष गवाही दी कि उसने साजिश रचने वाले आरोपी के बीच बातचीत सुनी थी।दूसरी ओर, पीडब्लू-85 शत्रुतापूर्ण हो गया।इसलिए, पीडब्लू-68 के बयान के आधार पर, सत्र अदालत ने आरोपी संख्या 1-2 और 1 को आईपीसी की धारा 120 बी आर/डब्ल्यू पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (ई), आईपीसी की धारा 109 और 111 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें चार साल के कारावास की सजा सुनाई।अपील में, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-68 पर विश्वास नहीं किया और परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रावधानों के तहत अभियुक्त संख्या 1-2 और 25-33 की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।अभियुक्त संख्या 1-2 और 1-1 के विरुद्ध षड्यंत्र के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप मिल गया है क्योंकि राज्य ने अपील नहीं की है।

ई.

च

15. रीःराजेश की हत्या का आरोप अभियुक्त 17 के खिलाफ

और 19:जहाँ तक अभियुक्त संख्या 17 और 19 के विरुद्ध राजेश की हत्या के आरोप से संबंधित मुद्दे का संबंध है; अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 5,6 और 8 के साक्ष्य पर भरोसा किया।इन गवाहों ने गवाही दी कि आरोपी संख्या 17 ने राजेश को लोहे के पाइप से पीटा, जबकि आरोपी संख्या 19 ने उसे लकड़ी के रीपर से पीटा।पीडब्लू 5,6 और 8 के बयान के आधार पर, सत्र अदालत ने आरोपी संख्या 17 और 19 को आईपीसी की धारा 302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।उच्च न्यायालय ने अपील में ए निर्धारित किया

जी.

एच.

इस दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया और इसके बजाय उन्हें आई. पी. सी. की धारा 326 आर/डब्ल्यू 34 के तहत दोषी पाया और उन्हें 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को भी अंतिम रूप मिल गया है क्योंकि राज्य ने परिवर्तित दोषसिद्धि और कम की गई सजा के खिलाफ इस न्यायालय में अपील नहीं की है।वास्तव में, अभियुक्त संख्या 17 और 19 ने भी अपील नहीं की है क्योंकि वे पहले ही सात साल की सजा काट चुके थे।16. षड्यंत्र और हत्या को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर मुकदमे और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हुए, विचार के लिए एकमात्र प्रश्न सार्वजनिक संपत्ति के विनाश से संबंधित मुद्दा है।वास्तव में, यह एकमात्र सवाल है जो हमारे सामने उठाया गया और बहस की गई।अब हम इस पहलू की विस्तार से जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

ग

17. रीःअभियुक्त के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 143,147,148 और पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (ई) के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का आरोप।

149 आई. पी. सी.:सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के आरोप को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में पीडब्लू 5,6,8,31 और 33 के साक्ष्य पर भरोसा किया।इन गवाहों की उपस्थिति को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अनिवार्य रूप से टी. आई. पी. कार्यवाही पर भरोसा करना पड़ा।बचाव पक्ष ने टी. आई. पी. पर अन्य बातों के अलावा, टी. आई. पी. के संचालन के समय आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) की उपस्थिति, पुलिस हिरासत में होने के दौरान अभियुक्तों की फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने सहित विभिन्न आधारों पर सवाल उठाए।

डी.

ई.

18. सत्र न्यायालय ने टी. आई. पी. की वैधता और विश्वसनीयता पर सभी आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि (i) आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) केवल मौजूद था और किसी भी तरह से टी. आई. पी. को प्रभावित नहीं करता था; (ii) टी. आई. पी. में संदिग्धों और गैर-संदिग्धों के बीच अनुपात में असंतुलन न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू.-47) या आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अधिक गैर-संदिग्धों को लाने की पूरी कोशिश की; (iii) आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) ने टी. आई. पी. के समक्ष गवाहों को अभियुक्त की पहचान का खुलासा करने से रोकने के लिए कदम उठाए, जिसमें उन्हें रिमांड बढ़ाने के लिए अदालत में लाया गया था। धाराओं के तहत 1-7,9-12,14,16-19

च

जी.

एच.

143, 147, 148 आई. पी. सी. और आई. पी. सी. के पी. डी. पी. पी. अधिनियम आर/डब्ल्यू. 149 के 3 (2) (ई) ने उन्हें चार साल के कारावास की सजा सुनाई।

19. उच्च न्यायालय, आपराधिक अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, टी. आई. पी. की वैधता या अखंडता पर अपीलार्थियों द्वारा की गई किसी भी प्रस्तुति पर विचार करने में विफल रहा है। निम्नलिखित अंश इस तर्क पर एकमात्र चर्चा हैः

"43. .....अदालत ने अदालत में विभिन्न गवाहों की पहचान के आधार पर आई. पी. सी. 147 और 148 और पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (ई) के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपना निष्कर्ष निकाला है।इस मामले पर नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है।अपीलकर्ताओं के लिए यह कहना बेकार है कि कोई उचित पहचान नहीं थी और इसलिए, यह कहना संभव नहीं था कि केएसआरटीसी बसों में बाधा किसने पैदा की थी।इसके अलावा, जब व्यक्तियों का एक समूह सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, तो उस अवैध समूह में से प्रत्येक को समूह के अन्य सदस्यों के कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

ग

डी.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 143,147,148 और पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (ई) आर/डब्ल्यू 149 के तहत अभियुक्त संख्या 1-7,9-12,16-19 की दोषसिद्धि और सत्र न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए चार साल के कारावास की सजा को भी बरकरार रखा।इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने यह तर्क देते हुए न्यायसंगत ठहराया कि उच्च न्यायालय ने कानून और तथ्य पर अपीलार्थियों की दलीलों पर विचार नहीं किया है।उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के तहत आपराधिक अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए,

आवश्यक रूप से रिकॉर्ड पर साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि निचली अदालत द्वारा साक्ष्य की सराहना किसी भी अवैधता से दूषित नहीं है और स्पष्ट रूप से गलत नहीं है।अपीलार्थी के तर्क पर विचार किए बिना अपील को खारिज करना एक गंभीर दुर्बलता है, जिसके परिणामस्वरूप कानून की नजर में कोई कानूनी निर्णय नहीं होगा।
20.दलों की प्रस्तुतियाँःअभियुक्त संख्या 1-7,9,14,16 और 18 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर ने शुरू में ही तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के मुद्दे पर कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिया है और केवल वही दोहराया है जो सत्र न्यायालय ने कहा था।

ई.

च

जी.

21. जो भी हो, सुश्री माथुर के निवेदन का केंद्रीय जोर टी. आई. पी. के संचालन के तरीके पर था।उनके अनुसार,

7 सोहन और एन. आर. वी.हरियाणा और अन्र राज्य। (2001) 3 एस. सी. सी. 620; राजस्थान राज्य बनाम हनुमान (2001) 1 एस. सी. सी. 337; बद्री और अन्य। वी.राजस्थान राज्य (2000) 10 एससीसी 246।

एच.

613

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

क.

टी. आई. पी. का अत्यधिक महत्व था, यह देखते हुए कि यह एक ऐसा मामला था जहां केवल कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक दायित्व लगाया गया था।उन्होंने टी. आई. पी. की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि (i) प्रदीपन बनाम केरल राज्य 8 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संदिग्धों और गैर-संदिग्धों के आदर्श अनुपात का पालन नहीं किया गया है; (ii) दोनों टी. आई. पी. के दौरान केंद्रीय जेल परिसर में आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) की उपस्थिति टी. आई. पी. को पूरी तरह से दूषित करती है; (iii) दोनों टी. आई. पी. में आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-47) ने शारीरिक विशेषताओं, उम्र आदि को दर्ज नहीं किया। गैर-संदिग्धों से।विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह कहते हुए एक उदाहरण दिया कि अभियुक्त नं। 7 की लंबी दाढ़ी थी, लेकिन लंबी दाढ़ी वाले कोई गैर-संदिग्ध नहीं थे; (iv) आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) ने स्वीकार किया है कि आरोपी संख्या। जब उसने अपने कार्यालय में चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की तो वह उसकी हिरासत में था; (v) पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 ने स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपी को पुलिस स्टेशन में रहते हुए देखा था; (vi) पीडब्लू-1, पीडब्लू 8-12 और पीडब्लू-33 ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अखबार में देखी गई तस्वीरों के आधार पर टीआईपी में आरोपी की पहचान की थी; (vii) आरोपी ने शिकायत की थी कि जब वे पुलिस हिरासत में थे, तो उनकी तस्वीरें खींची गईं और उन्हें पीडब्लू-84 के केबिन से गवाहों को दिखाया गया; (viii) रिमांड रिपोर्ट दिनांक 14.07.2000 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोपी संख्या। 1-16 को चश्मदीद गवाहों को दिखाया गया था; (ix) टी. आई. पी. को रखने में देरी हुई है जो कि घातक है।

ग

डी.

आचारपरम्बथप्रदीपन और अन्र बनाम में निर्णय।केरल राज्य 9, लाल सिंह और ओरस. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य 10 और शेख उमर अहमद शेख

और एन. आर. वी.महाराष्ट्र राज्य 11; और (x) टी. आई. पी. में की गई पहचान को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है जब वही गवाह अदालत के समक्ष उसी आरोपी की पहचान करने में विफल रहता है।इस उद्देश्य के लिए, लल्लियालिया जगदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य 12 मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था।टी. आई. पी. के पहलू पर अपनी प्रस्तुतियों से स्वतंत्र, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी निर्णय पर भरोसा किया

ई.

च

कैपिटल आर्ट हाउस (पी) लिमिटेड बनाम नेहा दत्ता 13 में दिल्ली उच्च न्यायालय, जहाँ

यह अभिनिर्धारित किया गया कि गवाहों से फिर से पूछताछ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने में सुविधा प्रदान करने के लिए।यह प्रस्तुति पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में दिए गए विरोधाभासी बयानों के संदर्भ में दी गई थी।

जी.

8 (2005) 3 केएलटी 1075। 9 (2006) 13 एससीसी 643 10 (2003) 12 एससीसी 554 11 (1998) 5 एससीसी 103 12 (2003) 12 एससीसी 666

13 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1746

एच.

614

22. अभियुक्त संख्या 10-12 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने तर्क दिया कि पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-8 द्वारा दिए गए बयान दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते हैं क्योंकि (i) पीडब्लू-5 ने अपने बयान में कहा था कि वह घटना के समय मौजूद नहीं थे और वह घटना के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचे थे। (ii) पीडब्लू-6 केवल अभियुक्त संख्या 17 और 19 की पहचान कर सकता था और आम तौर पर अन्य अभियुक्तों की पहचान आंदोलनकारियों के रूप में कर सकता था। (iii) पीडब्लू-8 ने अपने बयान में कहा था कि उसने एक समाचार पत्र में देखी गई तस्वीरों के आधार पर आरोपी की पहचान की थी।

23. श्री नवारे ने यह भी सवाल उठाया कि टी. आई. पी. का संचालन कैसे किया गया और (i) जब अभियुक्तों की तस्वीरें समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं तो टी. आई. पी. आयोजित करने का उद्देश्य विफल हो जाता है।उन्होंने रवि उर्फ रविचंद्रन बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

ग

पुलिस निरीक्षक 14 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जहाँ इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नहीं

एक टी. आई. पी. के साथ महत्व जोड़ा जा सकता है जहां कथित संदिग्धों की तस्वीरें समाचार पत्रों में घूम रही थीं और यह भी कि जब गवाहों को आरोपी को देखने का मौका मिला था, जबकि आरोपी पुलिस हिरासत में थे।इसके अलावा, उन्होंने इस फैसले पर भी भरोसा किया

डी.

शेख उमर अहमद शेख और अन्न बनाम।महाराष्ट्र राज्य

(उपर्युक्त) उसी मुद्दे पर अपनी प्रस्तुति को मजबूत करने के लिए; (ii) पहली टी. आई. पी. में संदिग्धों और गैर-संदिग्धों का अनुपात अनुचित था; (iii) आई. ओ. (पी. डब्ल्यू. -84) (iv) घटना की तारीख और टी. आई. पी. की तारीखों के बीच एक महीने से अधिक की देरी हुई थी, जिससे जांच अधिकारी को गवाहों को अभियुक्त के दिखने के तरीके के अनुकूल बनाने में मदद मिली।उन्होंने निर्णय पर भरोसा किया

ई.

सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य 15 में इस न्यायालय के

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जल्द से जल्द संभव अवसर पर एक टी. आई. पी. आयोजित की जानी चाहिए; और (v) पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-8 द्वारा की गई पहचान का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि वे एक स्वतंत्र गवाह नहीं हैं।

च

24. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री हर्षद वी. हमीद ने टी. आई. पी. के संचालन के संबंध में की गई दलीलों का प्रतिवाद करते हुए तर्क दिया कि-(i) प्रदीपन बनाम केरल राज्य 16 में निर्णय बाध्यकारी नहीं है।ये केवल दिशानिर्देश थे जिन्हें किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता था।रिलायंस को मोहनन नायर बनाम केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया था।

जी.

14 (2007) 15 एस. सी. सी. 372 15 (1995) पूरक 1 एस. सी. सी. 80

16 सुप्रा नंबर 8 ए

एच.

615

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

केरल राज्य 17, उसी बिंदु का समर्थन करने के लिए; (ii) एक टी. आई. पी. को अदालत की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो इस मामले में हुआ है; (iii) यदि टी. आई. पी. के संचालन के तरीके के बारे में चिंताएं थीं, तो टी. आई. पी. को ही चुनौती दी जानी चाहिए थी।मामले के उस दृष्टिकोण में, यह प्रस्तुत किया गया था कि जब इसे चुनौती नहीं दी गई है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 80 के तहत, एक धारणा उत्पन्न होती है कि टी. आई. पी. रिपोर्ट साक्ष्य का एक वैध प्रमाण है; (iv) जे. एफ. एम. सी. (पी. डब्ल्यू.-47) ने टी. आई. पी. का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पहुंच के भीतर हर उपाय किया; (v) आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए कि टी. आई. पी. जल्द से जल्द संभव अवसर पर आयोजित किया जाए; (vi) इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था।

मुन्ना कुमार उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला 18, जहाँ

ग

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि संदिग्धों की तस्वीरें टी. आई. पी. के संचालन से महीनों पहले समाचार पत्रों में प्रसारित की जातीं, तो प्रसार ने गवाहों के दिमाग पर अपना प्रभाव खो दिया होता; (vii) सत्र न्यायालय ने केवल उन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है, जिनकी पहचान न्यायालय के साथ-साथ टी. आई. पी. दोनों में की गई थी। इन चश्मदीद गवाहों की गवाही को कभी भी किसी तरह की कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ा और (viii) पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-8 के साक्ष्य, जिन पर ट्रायल कोर्ट ने भरोसा किया था, पक्षपाती नहीं थे।

डी.

25. विश्लेषण:पक्षों के विद्वान वकील को सुना और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।हम शुरुआत में इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ किए गए चश्मदीद गवाहों ने दंगों में भाग लेने वाले और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश में शामिल अभियुक्तों के नाम या पहचान नहीं बताई थी।इसलिए, आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) को अनिवार्य रूप से ए. टी. आई. पी. का संचालन करना पड़ा। टी. आई. पी. आयोजित करने का उद्देश्य तीन गुना है।सबसे पहले, गवाहों को खुद को संतुष्ट करने में सक्षम बनाना कि जिस आरोपी पर उन्हें संदेह है, वह वास्तव में वही है जिसे उन्होंने अपराध के संबंध में देखा था। दूसरा, जांच अधिकारियों को संतुष्ट करना कि संदिग्ध वास्तविक व्यक्ति है जिसे गवाहों ने उक्त घटना के संबंध में देखा था।

तीसरा, पहली छाप के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना कि क्या उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है (मुल्ला और अन्र. v.राज्य

ई.

च

यू. पी. 19)।

जी.

26. टी. आई. पी. पुलिस द्वारा जाँच के चरण से संबंधित है।यह आश्वासन देता है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।यह विवेक का एक नियम है जिसका उन मामलों में पालन किया जाना आवश्यक है जहां आरोपी है।

17 (1989) Cr.L.J. 2106 (केर) 18 (2012) 6 एससीसी 174

एच.

19 (2010) 3 एस. सी. सी. 508 (पैरा 44,45 और 55)

गवाह या शिकायतकर्ता को पता नहीं (मातृवंशीय गिरीश)

चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 20; मुल्ला और अन्र. वी.उत्तर प्रदेश राज्य 21 और सी.

मुनियप्पानंद ओआरएस. वी.तमिलनाडु राज्य 22)।टी. आई. पी. का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत स्वीकार्य है। हालाँकि, यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है।इसके बजाय, इसका उपयोग मुकदमे के समय अदालत के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।इसलिए, टी. आई. पी., भले ही आयोजित किए गए हों, सभी मामलों में विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नहीं माने जा सकते हैं, जिसके आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

निरंतर (एच. पी. बनाम राज्य)लेख राज और अन्र। 23; और सी. मुनियप्पानंद ओरस बनाम टी. एन. राज्य 24)।

27. यह जाँच एजेंसी और अभियुक्त दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और न्याय के उचित प्रशासन के लिए एक विशेषाधिकार है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद एक टी. आई. पी. को टालने योग्य और अनुचित देरी के बिना आयोजित किया जाता है।यह परीक्षण पहचान परेड से पहले गवाहों को आरोपी को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है।यह अभियुक्त की एक बहुत ही सामान्य याचिका है, और इसलिए, अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि इस तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न हो।हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं और कुछ देरी होती है, तो इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।लेकिन कारण दिए जाने चाहिए कि ऐसा क्यों था

ग

डी.

विलम्ब (मुल्ला और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश राज्य 25 और सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य 26)।

28. जिन मामलों में गवाहों को पहचान परेड आयोजित होने से पहले आरोपी को देखने का पर्याप्त अवसर मिला है, वे मुकदमे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अदालत के समक्ष यह स्थापित करे कि

गिरफ्तारी के दिन से ही आरोपी को "बापर्दा" रखा गया था ताकि पुलिस हिरासत में रहते हुए उनका चेहरा देखे जाने की संभावना को खारिज किया जा सके।यदि गवाहों को टी. आई. पी. के समक्ष अभियुक्त से मिलने का अवसर मिला हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, यानी शारीरिक रूप से, तस्वीरों के माध्यम से या मीडिया (समाचार पत्र, टेलीविजन आदि) के माध्यम से, तो टी. आई. पी. का साक्ष्य वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है (लाल सिंह और अन्य बनाम यू. पी. राज्य 27 और

ई.

च

सूर्यमूर्ति और एन. आर. वी.गोविंदस्वामी और ओआरएस। 28)।

20 (1971) 2 एस. सी. सी. 75 (पैरा 17)

21 सुप्रा No.19 (पारस 41 और 43)।22 (2010) 9 एस. सी. सी. 567 (पैरा 42) 23 (2000) 1 एस. सी. सी. 247 (पैरा 3) 24 सुप्रा संख्या 22 (पैरा 42) 25 सुप्रा No.19 (पैरा 45) 26 सुप्रा No.15

जी.

27 सुप्रा No.10

28 (1989) 3 एससीसी 24 ए

एच.

617

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

29. यदि टी. आई. पी. में पहचान अभियुक्त को गवाहों को दिखाए जाने के बाद हुई है, तो न केवल टी. आई. पी. का सबूत अस्वीकार्य है, बल्कि मुकदमे के दौरान अदालत में एक पहचान भी अर्थहीन है (शेख उमर)।

अहमद शेख और अन्न. वी.महाराष्ट्र राज्य 29)।यहाँ तक कि एक टिप भी

एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित किया जाना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 162 के आलोक में अस्वीकार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य 30 और रामकिशन मिथनलाल शर्मा बनाम बॉम्बे राज्य 31)।

30. टी. आई. पी. के दौरान संदिग्धों और गैर-संदिग्धों के बीच एक स्वस्थ अनुपात बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि उस आशय के नियम जेल नियमावली में दिए गए हैं या यदि किसी उपयुक्त प्राधिकारी ने बनाए रखने के लिए अनुपात के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, तो ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।टी. आई. पी. का संचालन करने वाला अधिकारी निर्धारित अनुपात को अनिवार्य रूप से बनाए रखने के लिए बाध्य है।टी. आई. पी. का संचालन करते समय, यह अनिवार्य है कि गैर-संदिग्ध एक ही आयु वर्ग के होने चाहिए और उनकी शारीरिक विशेषताएं (आकार, वजन, रंग, दाढ़ी, निशान, शारीरिक चोट आदि) भी संदिग्धों के समान होनी चाहिए।टी. आई. पी. की देखरेख करने वाले संबंधित अधिकारी को टी. आई. पी. की कार्यवाही शुरू करने से पहले ऐसी भौतिक विशेषताओं को भी दर्ज करना चाहिए।यह टी. आई. पी. को विश्वसनीयता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि टी. आई. पी. केवल एक खाली औपचारिकता नहीं है (राजेश गोविंद)।

ग

डी.

जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य 32 और रवि बनाम राज्य 33)।

ई.

31. अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि टी. आई. पी. निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई थी और टी. आई. पी. आयोजित करने से पहले सभी आवश्यक उपाय और सावधानी बरती गई थी। इस प्रकार, बोझ रक्षा पर नहीं है।इसके बजाय, यह अभियोजन पक्ष पर है (राजेश गोविंद जागेश बनाम राज्य

महाराष्ट्र 34)।

च

32. अब हम अपने समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तीन प्रमुख तर्कों पर विचार करेंगे, (i) अभियुक्त की पहचान करने के लिए टी. आई. पी. में भाग लेने वाले चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता; (ii) टी. आई. पी. के संचालन में देरी; और (iii) टी. आई. पी. की वैधता और TIP.We के संचालन के दौरान आई. ओ. की उपस्थिति अब इनमें से प्रत्येक निवेदन पर विचार करेगी।

जी.

29 सुप्रा No.11

30 (2020) 10 एससीसी 733 31 (1955) 1 एससीआर 903 32 (1999) 8 एससीसी 428 33 सुप्रा No.14

34 सुप्रा No.32 (पैरा 4)

एच.

618 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

33. रीःअभियुक्त की पहचान करने के लिए टी. आई. पी. में भाग लेने वाले चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयताः

34. पीडब्लू-3 ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा किः

" पहचान परेड की तारीख से पहले, मैं अलग-अलग दिनों में क्राइमब्रांच कार्यालय गया था।

(क्यू)।क्या प्रथम परेड के समय 10-18 आरोपी थे?(ए)।इतने सारे लोग वहाँ थे।

(क्यू)।क्या कुछ अभियुक्तों को अपराध शाखा कार्यालय से टोयो दिखाया गया था

ग

(ए)।उन्हें दिखाया गया

(क्यू)।क्या दूसरी परेड में जाने से पहले आपको कुछ और आरोपी दिखाए गए थे?

(ए)।हाँ "

डी.

35. पीडब्लू-4 ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि

वहः

"मैं बयान देने के लिए अपराध शाखा कार्यालय गया था।वह पहली परेड से कुछ दिन पहले की बात थी।

(क्यू)।जब आप अपना अगला बयान देने के लिए वहाँ गए थे तो क्या उन्होंने आपको कुछ आरोपी दिखाए थे?

ई.

(ए)।वे वहाँ थे।

(क्यू)।पहली परेड के बाद मैंने अपराध शाखा को बयान दिया है।वह दूसरी परेड से पहले की बात थी।क्या उन्होंने आपको उस समय आरोपी दिखाया था?

च

(ए)।वे वहाँ थे।इस प्रकार, जिन व्यक्तियों को मैंने देखा या मुझे दिखाया, उनकी पहचान परेड के समय की गई।"

36. हालाँकि, इन दोनों गवाहों ने अपनी पुनः जाँच के दौरान यह कहते हुए खुद का खंडन किया है कि उन्होंने टी. आई. पी. के दौरान पहली बार अभियुक्त को देखा था।

जी.

37. जहाँ तक पीडब्लू-5 का संबंध है, अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति और अभियुक्त को अपराध करते हुए देखना गंभीर संदेह में है।अपनी जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि

"(क्यू)।क्या आप घटना स्थल देखने गए थे?

एच.

619

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

क.

(ए) मैं घटना के बाद घटना स्थल पर गया था।फिर मैंने तीन कर्मचारियों को देखा।कुल मिलाकर, 10-20 व्यक्ति थे जो कार्यालय के बाहर और घटना स्थल पर खड़े थे।

(क्यू)।क्या आपने उनसे घटना के बारे में पूछा था?(ए) नहीं।

(क्यू)।क्या आप अभियुक्त के वहाँ से चले जाने के बाद ही वहाँ पहुँचे थे?(ए)।हाँ "

38. पीडब्लू-6, जिसके साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है, ने यह भी कहा है कि वह पहली टी. आई. पी. से ग्यारह दिन पहले अर्थात् 20.07.2000 पर अपराध शाखा कार्यालय गया था।यह तारीख उस तारीख के साथ मेल खाती थी जब अभियुक्तों को भी पुलिस हिरासत में लिया गया था।दूसरी ओर, पीडब्लू-8, जिसके साक्ष्य पर भी अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है, ने अपने बयान में कहा है कि उसने एक समाचार पत्र में प्रकाशित तस्वीरों के आधार पर टी. आई. पी. में आरोपी की पहचान की है।

ग

डी.

39. केएसआरटीसी के एक कर्मचारी पीडब्लू-31 ने केवल विनाश के कारण केएसआरटीसी को हुए वित्तीय नुकसान पर बयान दिया है।उसका बयान अभियुक्त पर किसी भी दायित्व को बढ़ाने में सहायक नहीं है।

40. सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अंतिम गवाह पर भरोसा किया गया था, वह पीडब्लू-33 था।लेकिन, यह गवाह मुकर गया।इसलिए, उनका बयान हमें कहीं नहीं ले जाता है।41. न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीडब्लू -47),उनसे पूछा गया था कि क्या परेड शुरू करने से पहले, उन्होंने किसी भी गवाह से पूछा था कि क्या वे संदिग्धों या गैर-संदिग्धों से पहले से परिचित थे या क्या संदिग्धों या गैर-संदिग्धों को आईओ (पीडब्लू-84) द्वारा उन्हें दिखाया गया था।पीडब्लू-47 ने कहा कि उसने परेड शुरू करने से पहले संदिग्धों से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था।हालाँकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने परेड के अंत में संदिग्धों से पूछा कि क्या उन्हें टी. आई. पी. के संचालन के तरीके पर कोई आपत्ति है।यह

बताया जा सकता है कि अभियुक्त संख्या 2 ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि जब वे पुलिस हिरासत में थे तो उन्हें गवाहों को दिखाया गया था।

ई.

च

जी.

42. बुधसेनंद एन. आर. बनाम में यह न्यायालय।उत्तर प्रदेश राज्य 35 ने निर्देश दिया था कि गवाहों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी कि

35 (1970) 2 एससीसी 128

एच.

620

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

जिन लोगों को टी. आई. पी. में भाग लेना है, उन्हें टी. आई. पी. आयोजित होने से पहले अभियुक्त से मिलने का अवसर नहीं मिलता है।लाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 36 के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मुकदमा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा जब गवाहों को पहचान परेड आयोजित करने से पहले आरोपी को देखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष को सावधानी बरतनी चाहिए और अदालत के समक्ष यह स्थापित करना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी के दिन से ही आरोपी को "बापर्दा" रखा गया था ताकि पुलिस हिरासत में रहते हुए उसका चेहरा देखे जाने की संभावना को खारिज किया जा सके।बाद में, लाली बनाम स्टेट ऑफ

राजस्थान 37 और माया कौर बलदेव सिंह सरदार और अन्न बनामराज्य

महाराष्ट्र 38 के इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जहां अभियुक्त को गवाह को दिखाया गया है या यहां तक कि उसकी तस्वीर भी जांच अधिकारी द्वारा टी. आई. पी. से पहले दिखाई गई है, ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में पहचान परेड आयोजित करना महत्वहीन है।शेख उमर अहमद के मामले में इस अदालत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

ग

शेख और अन्न. वी.महाराष्ट्र राज्य 39, जहाँ यह आयोजित किया गया थाः“8. ....लेकिन, सवाल यह उठता हैःअदालत में गवाहों द्वारा अभियुक्त की पहचान के साक्ष्य का क्या मूल्य जोड़ा जा सकता है जब अभियुक्तों को संभवतः पुलिस स्टेशन में पहचान परेड से पहले गवाहों को दिखाया गया था।नामित अदालत ने पहले ही एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि इस बात की प्रबल संभावना थी कि संदिग्धों को गवाहों को दिखाया गया था।ऐसी परिस्थितियों में, जब अभियुक्तों को पहले ही गवाहों को दिखाया जा चुका था, तो गवाहों द्वारा अदालत में उनकी पहचान अर्थहीन थी।न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाहों के बयान ने अपना पूरा महत्व खो दिया और अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने का आधार नहीं बनाया जा सका।नामित न्यायालय द्वारा पीडब्लू 2 और पीडब्लू 11 द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान के साक्ष्य पर भरोसा करना, दो चश्मदीद गवाहों द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान के साक्ष्य से निपटने का एक गलत तरीका था और न्याय की विफलता का कारण बना था।चूँकि नामित न्यायालय द्वारा पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दर्ज की गई है, इसलिए इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।"

डी.

ई.

च

जी.

36 सुप्रा No.10 37 सुप्रा No.12

38 (2007) 12 एस. सी. सी. 654 39 सुप्रा No.11 ए

एच.

621

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

43. जहाँ तक पीडब्लू-8 के साक्ष्य का संबंध है, जिसने कहा है कि उसने समाचार पत्रों में प्रकाशित चित्रों के आधार पर टी. आई. पी. में आरोपी की पहचान की है, कानून की स्थिति स्पष्ट है।सूर्यमूर्ति बनाम गोविंदस्वामी 40 के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

“10. जाँच के दौरान दो पहचान परेड आयोजित की गईं।पहली पहचान परेड में पीडब्लू 1 ने सभी सात अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की, जबकि पीडब्लू 2 ने उनमें से तीन की पहचान की, अर्थात् अकेले आरोपी 2,6 और 7।हालाँकि, यह सबूत है कि पहचान परेड आयोजित होने से पहले आरोपी व्यक्तियों की तस्वीरें स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं।इसके अलावा, पहचान परेड आयोजित होने से पहले आरोपी व्यक्ति कुछ दिनों के लिए हवालात में थे और इसलिए गवाहों को उनके दिखाए जाने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है।इसलिए हम पहचान परेड में की गई पहचान को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं।"

ग

उसी सिद्धांत को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने रवि बनाम राज्य 41 में, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित करके उपरोक्त स्थिति की फिर से पुष्टि की हैः

डी.

“17. कुछ तथ्य विवादित नहीं हैं।दस दिनों के बाद परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई।यह भी विवाद में नहीं है कि अभियुक्तों की तस्वीरें पुलिस स्टेशन में ली गई थीं।जाँच अधिकारी ने उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति दी।अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार की तस्वीरें न केवल प्रकाशित की गई थीं, बल्कि उन्हें उपरोक्त अपराध में आरोपी दिखाया गया था।उनमें से कुछ को उक्त प्रकाशन के बारे में पता था।कथित परीक्षण पहचान परेड, जो इसके दस दिन बाद आयोजित की गई थी, हमारी राय में, उपरोक्त तथ्य स्थिति में सभी महत्व खो देती है।

ई.

च

19. इस तरह के मामले में, अभियोजन पक्ष पर एक परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था करने का दायित्व था।इस तरह की परीक्षण पहचान परेड को जल्द से जल्द आयोजित करने की आवश्यकता थी ताकि संबंधित गवाहों द्वारा या तो पुलिस स्टेशन में या किसी अन्य स्थान पर या समाचार पत्र में प्रकाशित तस्वीरों के संदर्भ में आरोपी की पहचान की संभावना को खारिज किया जा सके।दोषसिद्धि अस्पष्ट पहचान पर आधारित नहीं होनी चाहिए।"

जी.

40 सुप्रा No.28 41 सुप्रा No.14

एच.

44. महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और टी. आई. पी. के संचालन का संकेत देने वाली सामग्री पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि गवाहों को टी. आई. पी. के संचालन से पहले आरोपी से मिलने का अवसर मिला था। गवाहों ने न केवल यह बयान दिया है कि उन्होंने टी. आई. पी. के समक्ष संदिग्धों को देखा था, बल्कि पहली टी. आई. पी. के अंत में अभियुक्त संख्या 2 ने भी शिकायत की थी कि सभी संदिग्धों की तस्वीरें ली गई थीं, वीडियो-ग्राफ़ की गई थीं और आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) के कक्ष से गवाहों को दिखाई गई थीं।दूसरे टी. आई. पी. के अंत में, उन्होंने यह भी कहा था कि जब अभियुक्त संख्या 1-19 को रिमांड के उद्देश्य से अदालत में ले जाया गया था, और पुलिस द्वारा अदालत में सभी गवाहों की उपस्थिति की व्यवस्था की गई थी।वास्तव में, सभी अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से कहा कि वे अपनी गिरफ्तारी से सीधे टी. आई. पी. की तारीख तक एक ही पोशाक पहने हुए थे, यह इंगित करने के लिए कि टी. आई. पी. ने अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया।हम अभियुक्त के बयान की सच्चाई पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस विवाद को उठाया था और इसे हमेशा बनाए रखा है।45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि टी. आई. पी. के संचालन के पीछे कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं था। टी. आई. पी. केवल एक औपचारिकता थी और इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता था।चूंकि अपीलार्थियों को दोषी ठहराने का एकमात्र सबूत टी. आई. पी. में चश्मदीद गवाहों का सबूत है, और जब टी. आई. पी. दूषित हो जाती है, तो दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।अब हम टी. आई. पी. का संचालन करते समय अन्य खामियों की जांच करेंगे।

ग

डी.

46. रीःटी. आई. पी. के संचालन में देरीःसंचालन में अनुचित देरी

ई.

टी. आई. पी. का पहचान प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।हालाँकि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है जिसके भीतर टी. आई. पी. आयोजित की जानी चाहिए और देरी का परिणाम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन जल्द से जल्द टी. आई. पी. आयोजित करना अनिवार्य है।टी. आई. पी. गवाहों द्वारा अभियुक्त को देखने की संभावना उनकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह करने के लिए पर्याप्त है।टी. आई. पी. के संचालन में देरी के परिणाम पर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों ने इस बात पर जोर दिया है कि गवाहों द्वारा अभियुक्त को देखने की संभावना टी. आई. पी. को अस्वीकार करने के लिए एक निर्णायक कारक हो सकती है। सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य 43 में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

च

जी.

“यह जाँच एजेंसी और अभियुक्त दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और न्याय के उचित प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि गिरफ्तारी के बाद ऐसी पहचान को टालने योग्य और अनुचित देरी के बिना आयोजित किया जाए।

42 सुप्रा सं. 9 43 सुप्रा No.15 A

एच.

अभियुक्त और सभी आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय प्रभावी ढंग से किए गए थे ताकि वास्तविक अपराधी को दंडित करने के लिए जांच सही दिशा में आगे बढ़े।इस मार्ग को अपनाने से ही अभियुक्त के साथ-साथ अभियोजन पक्ष को भी न्याय और निष्पक्षता का आश्वासन दिया जा सकता है।लेकिन स्थिति तब अलग हो सकती है जब अभियुक्त या मुकदमा लड़ने वाले अपराधी को एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग-अलग समय और स्थानों पर देखा गया हो जो तथ्य टी. आई. पी. की आवश्यकता को दूर कर सकते हैं।

47. बुधसेन और एनर बनाम में।यूपी राज्य 44, इस न्यायालय ने दरकिनार कर दिया

उसमें अपीलार्थी पर इस आधार पर दोषसिद्धि अधिरोपित की गई है कि कोई भी दोषसिद्धि केवल टी. आई. पी. में की गई पहचान पर भरोसा करने पर आधारित नहीं हो सकती है। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि टी. आई. पी. के संचालन में अपने आप में 14 दिनों की देरी से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा नहीं हो सकता है, इसने कहा कि पहचान करने वाले गवाहों द्वारा अभियुक्त को अदालत के बाहर देखे जाने की अधिक संभावना है।

ग

जेल परिसर।सुभाष और शिव शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 45 वाले मामले में, यह न्यायालय

एक अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि गिरफ्तारी के तीन सप्ताह बाद टी. आई. पी. आयोजित की गई थी।इस अदालत को संदेह था कि टी. आई. पी. आयोजित करने में देरी ने पहचान करने वाले गवाहों को पुलिस लॉक-अप या जेल परिसर में आरोपी को देखने में सक्षम बनाया होगा।ए. पी. बनाम राज्य मेंडॉ. एम. वी. रमना रेड्डी और अन्य। 46, इस न्यायालय ने प्रतिवादी एन. ओ. एस. को बरी कर दिया। 2 और 3 इस आधार पर कि टी. आई. पी. के संचालन में 10 दिनों की देरी हुई थी, और उन 10 दिनों में, गवाहों को उनकी तस्वीरें दिखाए जाने की बहुत संभावना थी।राजेश गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य 47 में, लगभग एक महीने की देरी को इस न्यायालय द्वारा गंभीरता से लिया गया था क्योंकि आरोपी को गवाहों को दिखाए जाने की संभावना थी।

डी.

ई.

च

48. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि आरोपी संख्या 1-16 को 13.07.2000 पर गिरफ्तार किया गया था।जल्द से जल्द टी. आई. पी. आयोजित करने के लिए आवेदन दायर करने के बजाय, आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) ने अनिवार्य आवेदन दायर किया, जिसके अनुसार अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अभियुक्तों को उनकी पुलिस हिरासत अवधि के दौरान गवाहों को दिखाया गया था।तथ्य यह है कि टी. आई. पी. आयोजित करने के लिए एक आवेदन 23.07.2000 पर दायर किया गया था, अर्थात

जी.

44 सुप्रा No.35

45 (1987) 3 एससीसी 331 46 (1991) 4 एससीसी 536 47 सुप्रा No.32

एच.

पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के अगले दिन, यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि टी. आई. पी. के दौरान उनकी आसान पहचान के लिए अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। अन्यथा, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद टी. आई. पी. आयोजित करने के लिए आवेदन क्यों दायर नहीं किया गया था।ऐसी परिस्थितियों में, हम दृढ़ता से मानते हैं कि अन्य परिस्थितियों के साथ टी. आई. पी. आयोजित करने में देरी ने टी. आई. पी. गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया है।

49. रीःटी. आई. पी. की वैधता और इस दौरान आई. ओ. की उपस्थिति

टिप का संचालनःइस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

चुनथुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 48, रामकिशन पर भरोसा करके

मिथनलाल शर्मा बनाम बॉम्बे राज्य 49 ने अभिनिर्धारित किया है कि एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में टी. आई. पी. में गवाहों द्वारा की गई कोई भी पहचान धारा 162 Cr.P.C के तहत पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों के समान है।

ग

"परीक्षण पहचान परेड के संचालन में दुर्बलताओं की अगली जांच की जाएगी।यहाँ अभ्यास में प्रमुख दोष अभ्यास के दौरान पुलिस की उपस्थिति थी।जब पहचान पुलिस की उपस्थिति में की जाती है, तो परिणामी संचार जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी को पहचानकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों के समान होते हैं और वे संहिता की धारा 162 के प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं।"

डी.

ई.

50. परीक्षण पहचान परेड के संचालन के बारे में आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) के साक्ष्य पर ध्यान दिया जा सकता हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"(क्यू)।क्या आपने गवाह और अभियुक्त को जेल के अंदर एक-दूसरे से मिलने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था की थी?(ए)।मुझे नहीं लगा कि इसकी कोई जरूरत है।"

च

51. इसके अलावा, जब आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-84) की उपस्थिति के बारे में जे. एम. एफ. सी. (पी. डब्ल्यू.-47) से पूछा गया, तो उन्होंने कहा किः

"..... 31.07.2000 पर आयोजित परेड में, 31 गैर-संदिग्धों का चयन किया गया था।नागरिक आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उस तारीख को भी डी। एस. पी. और सी. आई. जेल परिसर में मौजूद थे।

जी.

48 सुप्रा No.30 49 सुप्रा संख्या 31 ए

एच.

625

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

52. 26.08.2000 पर आयोजित दूसरे टी. आई. पी. के संबंध में, जे. एम. एफ. सी. (पी. डब्ल्यू.-47) ने कहा किः

" 26.08.2000 Dy पर। एस. पी. एस. पी. जोशवा भी केंद्रीय जेल में मौजूद थे।

53. जे. एम. एफ. सी. (पी. डब्ल्यू-47) के बयान और आई. ओ. (पी. डब्ल्यू-84) के साक्ष्य पर एक साथ विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि टी. आई. पी. के समय जांच अधिकारी की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है।जाँच अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है कि आरोपी और गवाह एक-दूसरे को न देखें।यह आश्चर्य की बात है कि जांच अधिकारी का मानना है कि इस तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं है।

ग

54. इसी संदर्भ में, हम जे. एम. एफ. सी. (पी. डब्ल्यू.-47) द्वारा बनाई गई पहली टी. आई. पी. रिपोर्ट पर भी ध्यान दे सकते हैं।मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया कि अभियुक्त ने टी. आई. पी. के संचालन के तरीके पर चिंता जताई थी।टी. आई. पी. रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग का उल्लेख नीचे किया गया हैः

डी.

"21.इसके बाद जब संदिग्धों को हॉल में अकेला छोड़ दिया गया, तो उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें परेड के संचालन के तरीके के बारे में कोई शिकायत मिली है।सभी ने नकारात्मक जवाब दिया।जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कहने के लिए कुछ और है, तो उन्होंने सर्वसम्मति से श्री पद्म कुमार (ए 2) से कुछ कहने के लिए कहा।उन्होंने तब कहा कि जब संदिग्ध पुलिस हिरासत में थे, तो उन सभी की तस्वीरें खींची गईं और वीडियोग्राफी की गई और सभी 6 गवाहों को भी दिखाया गया, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर के केबिन से परेड में उनकी पहचान करने के लिए बनाया गया था। एसपी। श्री जोशवा।"

ई.

55. यहां तक कि जे. एम. एफ. सी. (पी. डब्ल्यू.-47) द्वारा दर्ज दूसरे टी. आई. पी. दिनांक 26.08.2000 की रिपोर्ट में भी नीचे लिखा हैः

च

"22. जब अभियुक्त व्यक्तियों को हॉल में छोड़ दिया गया, तो उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्हें परेड के संचालन के तरीके के बारे में कोई शिकायत मिली है।उन सभी ने नकारात्मक जवाब दिया।जब उनसे आगे पूछा गया कि क्या उनके पास कहने के लिए कुछ और है, तो वे सभी चाहते थे कि दूसरे आरोपी पद्म कुमार कुछ टिप्पणी करें।इसके बाद, दूसरे अभियुक्त ने कहा कि अभियुक्त संख्या 1 से 16, अदालत में पेश किए जाने से पहले, तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में थे। जिसने एन. ओ. एस. पर आरोप लगाया। 17 से 19 इसी तरह पुलिस में थे।

जी.

एच.

6 दिनों के लिए अभिरक्षा; कि जब सभी 19 को 24 को अदालत में ले जाया गया और पुलिस द्वारा अदालत में सभी गवाहों की उपस्थिति की व्यवस्था की गई, ताकि वे सभी आरोपी व्यक्तियों को देख सकें; और यह कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उन सभी की तस्वीरें ली गईं और वीडियोग्राफी की गई और सभी गवाहों द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक, जांच अधिकारी के कक्ष से भी देखा गया।सभी अभियुक्तों ने यह भी कहा था कि गिरफ्तारी के बाद से आज तक वे एक ही पोशाक पहने हुए थे।"

56. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि टी. आई. पी. के संचालन के साथ-साथ टी. आई. पी. के संचालन के दौरान पुलिस की मंडराती उपस्थिति ने पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए टी. आई. पी. गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करने में गंभीर गलती की है।हमारी राय है कि दोषसिद्धि और सजा स्थायी नहीं है।अभियोजन पक्ष की ओर से इन खामियों को देखते हुए, हमारे लिए अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य आधारों पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

ग

डी.

57. निष्कर्षःमामले पर विस्तार से विचार करने और दोनों टी. आई. पी. के संचालन के तरीके में विभिन्न विसंगतियों को नोट करने के बाद, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया है।टी. आई. पी. के अलावा, हमें आई. पी. सी. की धारा 143,147,148 और पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) (ई) के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य सबूत नहीं मिलता है।

ई.

58. ऊपर बताए गए कारणों और अंत में, हमः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

आई. 2006 की आपराधिक अपील संख्या 384 और 385 में केरल उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न 2010 की आपराधिक अपील संख्या 1864-1865 को अनुमति दें, और

ii.2006 की आपराधिक अपील संख्या 384 और 385 में केरल उच्च न्यायालय के फैसले के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दें और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट -I), आई. पी. सी. की धारा 143,147,148 और 3 (2) (ई) के तहत 2001 के सत्र मामले संख्या 302,2001 के 1786 और 2002 के 1313 में तिरुवनंतपुरम।

जी.

एच.

627

GIREESAN NAIR & ORS. ईटीसी. वी.केरल राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

क.

आई. पी. सी. की धारा 249 के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984।

iii.अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है, और उनके जमानत बांड, यदि कोई हों, तो बरी कर दिए जाते हैं। लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त आदेश के संदर्भ में निपटाए जाते हैं।

iv.दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.